

283

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

कार्यालय आदेश/शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक/2018

संख्या-26/नि01-04/2000खंड...../विभागीय निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-90 सहपठित ज्ञापांक-1009 दिनांक 07.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) के कंडिका-5 के बाद कंडिका-6 अतिरिक्त निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3275 दिनांक 07.05.2018 के आलोक में अनुमान्यता के अंदर निजी सहायक (बाह्य व्यक्ति) को पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित नियत वेतन पर पटना नगर क्षेत्र के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता एवं प्रतिमाह 1000/- (एक हजार रुपये) चिकित्सा भत्ता देय होगा।”

2: पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

ह0/-

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक/2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक/2018

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 1442/

पटना, दिनांक 07/12/2018

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, (दो प्रतियों में)/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना)/अवर सचिव/आई0टी0 मैनेजर कला संस्कृति एवं युवा विभाग/श्री राकेश पाण्डेय, उर्फ राकेश प्रवीर पिता-श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, मु0-हाउस ऑफ श्री ए0पी0 सिन्हा, शिवपुरम, रोड-3 विजय नगर, रूकनपुरा, जिला-पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।